राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूँगरपुर (राज.)

मिसल नं.:- 363 | दिनांक:- 29.05.2018

अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

:: निर्णय ::

प्रार्थी कमला पिता धुला भील निवासी सुन्दरपुर तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत सुन्दरपुर में दिनांक 29.05.2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले.रे.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा सुन्दरपुर पंचायत समिति डूंगरपुर में स्थित आराजी नं. 204 कुल रकबा 6 **बिस्वा** पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि कास्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (डोले, पाणी) की बात को लेकर विवाद होता है और लड़ाई झगड़ा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी **श्री कावजी पिता धुला भील निवासी सुन्दरपुर** ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम **सुन्दरपुर** की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 खसरा नं. 204 कुल रकबा 6 **बिस्वा** की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणो द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नही किया गया एवं पत्थरगढी हेतु सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा **सुन्दरपुर** मे स्थित आराजी नं. 204 कुल रकबा 6 **बिस्वा** कुल किता 01 की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा **सुन्दरपुर** मे स्थित आराजी नं. 204 कुल रकबा 6 **बिस्वा** कुल किता 01 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, डूंगरपुर भू.अ. निरीक्षक सुरपुर के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू. 500/- प्रार्थी स्वंय राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(दीपक मेहता)
उपखण्ड अधिकारी
डूँगरपुर

[CN- 2018/00412]